बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि०प्रा० II –छात्र 04/2008– 2493 पटना, दिनांक– 10-09-2008

प्रेषक,

डा० ध्रुब प्रसाद,
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी राजकीय/निजी /महिला पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय – डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रों का शाखा एवं संस्थान परिवर्तन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे अभियंत्रण डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रों का शाखा एवं संस्थान परिवर्तन के संबंध में विभागीय पत्रांक–2620 दिनांक–20.081988 मे आंशिक संशोधन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये है :–

1. डिप्लोमा संस्थान के प्रथम वर्ष में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आवंटित संस्थान एवं शाखा में किसी भी परिस्थिति में परिवर्त्तन नहीं होगा।
2. डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष मैं समान संस्थान में शाखा परिवर्त्तन निम्नांकित आधार पर किया जा सकेगा :–

2.1 निर्धारित प्रवेश–क्षमता में रिक्ति होने पर मेधा के आधार पर समान संस्थान में शाखा परिवर्त्तन हो सकेगा।

2.2 शाखा परिवर्त्तन के फलस्वरूप उस शाखा मे 75 प्रतिशत से कम प्रवेश–क्षमता नही होना चाहिए।

2.3 किसी शाखा में रिक्ति की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :–

रिक्ति = कुल प्रवेश क्षमता – (नियमित छात्र जो द्वितीय वर्ष मे प्रवेश के योग्य है + पूर्व सत्र के द्वितीय वर्ष में प्रवेश योग्य छात्र)

अगर यह अंतर शुन्य या ऋणात्मक हो तो उस शाखा में परिवर्त्तन नही हो सकेगा।

2.4 मेधा का आधार प्रथम वर्ष का प्राप्तांक माना जायेगा तथा वही छात्र शाखा परिवर्त्तन के योग्य माने जायेंगे जो प्रथम वर्ष में सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए हो।

2.5 प्रथम वर्ष में प्राप्तांक समान होने पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उच्च मेधा प्राप्त छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2.6 प्रथम वर्ष के परीक्षा–फल के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर शाखा–परिवर्त्तन प्राचार्य के स्तर पर करते हुए तत्संबंधी सूचना सचिव, बिहार राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद को दे दी जायेगी।

3. डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में संस्थान परिवर्त्तन निम्नांकित प्रकार से हो सकेगा :–

3.1 विशेष परिस्थिति में द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में रिक्ति रहने पर बिना विषय परिवर्त्तन के प्राचार्य स्तर पर संस्थान परिवर्तन किया जायेगा।

3.2 एक ही संस्थान के एक हीं शाखा में एक से अधिक छात्र यदि संस्थान परिवर्त्तन हेतु आवेदन देते है तो प्रथम वर्ष के प्राप्तांक के आधार पर अधिक मेधा वाले छात्र का संस्थान परिवर्त्तन किया जायेगा। प्राप्तांक समान होने पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उच्च मेधा प्राप्त छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.3 उन छात्रों का संस्थान परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा जो प्रथम वर्ष में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो तथा जिनका चरित्र एवं आचरण संतोषजनक नही हो।

3.4 संस्थान परिवर्त्तन की सूचना संबंधित प्राचार्य द्वारा सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद को दी जायेगी।

4. संस्थान एवं शाखा परिवर्त्तन अधिकार के रुप मे नही लिया जायेगा।

5. राज्य के बाहर के संस्थानों तथा किसी भी निजी डिप्लोमा संस्थानों से सरकारी डिप्लोमा संस्थानों मे संस्थान परिवर्तन नही किया जायेगा।

6. यह संशोधित नियमावली निर्गत की तिथि से लागू होगी।

सभी संबंधित संस्थान छात्रों का शाखा एवं संस्थान परिवर्तन के संबंध में भविष्य में इस नियमावली के अनुसार कार्रवाई करें।

निदेशक 10.9.2008

ज्ञापांक ——— वि०प्रा० II –छात्रा–04/2006–2493 पटना, दिनांक– 10-09-2008

प्रतिलिपि – परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, आई० ए० एस० संध भवन, पटना/सचिव, परीक्षा नियंत्रक राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, टेकनोलॉजी भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 10.9.2008
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।